II

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक- फ०बी०यो०-02-14/2012 215 /पटना, दिनांक- 07/02/13

प्रेषक,

विजय प्रकाश,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ।

FAX

विषयः- **पंचायत स्तरीय फसल क्षेत्र सर्वेक्षण एवं फसल कटनी प्रयोग के सम्पादनार्थ सूचीबद्ध मान्यताप्राप्त स्वयंसेवकों को पंचायत आवंटन के संबंध में।**

प्रसंगः- **निदेशालय का पत्रांक-2085/दिनांक-23.11.12 पत्रांक-2110/दिनांक-27.11.12**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र जिसके द्वारा आपको पात्रता परीक्षा 2012 में उत्तीर्ण ASV को पंचायत आवंटित कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने का निदेश दिया गया था, का कृपया संदर्भ करें। ऐसी सूचना मिल रही है कि अनेक जिलों में अभी तक ASV को कार्य आवंटित नहीं किया गया है। कुछेक जिलों से ऐसी शिकायत भी मिल रही है कि शैक्षणिक योग्यता के अभिलेखों की जाँच के क्रम में आवेदकों को परेशान किया जा रहा है और उन्हें वैसी बातों के लिए भी निदेशालय भेज दिया जाता है जिनका निदान आपके स्तर से हीं संभव है। यह सर्वथा गलत है। यह भी शिकायत मिल रही है कि कुछेक जिलों में प्रखंड स्तरीय मेधा सूची का उल्लंघन कर कार्य आवंटन किया गया है।

अतएव निदेश है कि कार्य आवंटन में निम्नलिखित बिन्दुों पर ध्यान रखा जायः-

1. ASV के पैनल निमार्ण में मैट्रिक के परीक्षाफल के प्राप्तांक को कोई अंक प्रदान नहीं किया गया है। **इससे आवेदक के Date of birth की तिथि की जाँच मात्र की गयी है।**
2. इन्टर कला/विज्ञान/वाणिज्य एवं अन्य समतुल्य परीक्षाओं में श्रेणी के आधार पर अंक दिया गया है।

(यथा- प्रथम श्रेणी-10 अंक, द्वितीय श्रेणी -07 अंक एवं तृतीय श्रेणी -05 अंक)

3. इन्टर (विज्ञान अथवा कला) में गणित/सांख्यिकी यदि सामान्य विषय के रूप में हो अथवा अतिरिक्त विषय के रूप में, उसके प्राप्तांक के प्रतिशत को ध्यान में रखकर अतिरिक्त अंक दिया गया है।

(यथा- 75% से अधिक 10, 60-75% के बीच 8, 45-60% के बीच- 6 एवं 45% से कम -3 अंक)

ध्यातव्य हो कि वाणिज्य के गणित/सांख्यिकी के लिए अतिरिक्त बोनस अंक नहीं दिया गया है।

4. स्नातक कला/विज्ञान/वाणिज्य को श्रेणी के आधार पर अंक दिया गया है।

(यथा-प्रथम-03 अंक, द्वितीय-02 अंक एवं तृतीय-01 अंक)

5. स्नातकोत्तर कला/विज्ञान/वाणिज्य को श्रेणी के आधार पर अंक दिया गया है।

(यथा-प्रथम-03 अंक, द्वितीय-02 अंक एवं तृतीय-01 अंक)

Shweta(117)04.02.13

6. भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, जमुई, मुंगेर, खगड़िया एवं पूर्णिया जिला में पूर्व में पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग सम्पादित करने वाले कार्यकर्त्ता को अतिरिक्त-03 अंक बोनस के रूप में प्रदान किया गया है बशर्ते उन्हें जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया हो अथवा जाँचकर्ता आवेदक के दावे से पूरी तरह संतुष्ट हो।

ASV के संशोधित पैनल में आवेदक को प्रदत्त अंक यदि अभिलेखों की जाँच के पश्चात् सही पाया जाता है तो उन्हें पंचायत आवंटित किया जायगा। ASV के आवेदन करते समय आवेदक द्वारा अंकित की गई शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक में यदि भिन्नता पायी जाती है परंतु मेघा क्रमांक हेतु प्रदत्त कुल अंक में कोई अंतर नहीं आता है और इससे प्रखंड के लिए ASV का मेघाक्रम प्रभावित नहीं होता है तो वैसी स्थिति में भी उन आवेदकों को पंचायत आवंटित किया जायेगा। परंतु यदि ASV को प्रदत्त अंक से भिन्नता पाए जाने के कारण प्रखंड के लिए ASV का मेघाक्रम प्रभावित होता है तो वैसी स्थिति में आवेदक को कार्य आवंटित नहीं किया जायगा।

उत्तीर्ण ASV को मेघाक्रमानुसार ही पंचायत एवं कृषि सांख्यिकी कार्य आवंटित किया जायगा। यदि कोई ASV कार्य करने से अनिच्छा संबंधी आवेदन **लिखित रूप में** देता है तो वैसी स्थिति में पैनल के मेघाक्रमानुसार अगली वरीयता प्राप्त ASV को कार्य आवंटित किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में पैनल के मेघाक्रम का उल्लंघन नहीं किया जायगा।

यदि ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदक द्वारा सही सूचना दी गयी है परन्तु सॉफ्टवेयर की गलती से गलत अंक प्रदान कर दिया गया है तो वैसी स्थिति में मेधाक्रम में **संशोधन हेतु संबंधित अभिलेखों के साथ** निदेशालय को एतद् प्रस्ताव दिया जाय। परन्तु यदि आवेदक द्वारा गलत सूचना दर्ज कर गलत ढंग से अंक प्राप्त किया गया है तो उनके आवेदन को रद्द कर दिया जायगा।

ध्यान रहे, यदि किसी पदाधिकारी द्वारा पैनल के वरीयता का उल्लंघन कर किसी ASV को कार्य आवंटित किया जाता है तो वैसी स्थिति में संबंधित पदाधिकारी **सीधे** दण्ड के भागी होंगे।

अतः पुनः निदेश है कि उपरोक्त बिन्दुओं का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करते हुए कृषि सांख्यिकी अन्तर्गत पंचायत स्तरीय क्षेत्र सर्वेक्षण एवं फसल कटनी प्रयोग का कार्य अविलंब आवंटित कर प्रखंड/पंचायतवार आवंटन सूची निदेशालय को उपलब्ध करावें।

विश्वासभाजन

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 215 दिनांक- 07/02/13

प्रतिलिपि-

1.सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

2.सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।

Shweta(117)04.02.13